न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पेदन सहायक कलक्टर, मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (RAS)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
57 / 2021	01.02.2021	19.07.2023

//उनवान//

1. श्यामसुन्दर शर्मा पुत्र रामवतार पौत्र घीसाराम जाति ब्राह्मण निवासी माजरी खोला तह0 मुण्डावर, अलवर।
2. योगेन्द्र शर्मा पुत्र रामवतार पौत्र घीसाराम जाति ब्राह्मण निवासी माजरी खोला तह0 मुण्डावर, अलवर।
3. निर्मला पत्नि रामवतार जाति ब्राह्मण निवासी माजरी खोला तह0 मुण्डावर, अलवर।
4. रतनलाल पुत्र घीसाराम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी माजरी खोला तह0 मुण्डावर, अलवर।
5. सरलादेवी पुत्री घीसाराम पत्नि ओमप्रकाश शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी हाल कबाडी गली यादव धर्मशाला के पीछे बहरोड– 301701
6. बिमला देवी पुत्री घीसाराम पत्नि हरिप्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी हाल सागर उपर मोहल्ला मुण्डावर तह0 मुण्डावर, अलवर।

:– वादीगण

बनाम

1 काशीराम पुत्र भोरेलाल जाति अहीर निवासी माजरी खोला तह0 मुण्डावर, अलवर।
2 प्रकाशचन्द पुत्र भोरेलाल जाति अहीर निवासी माजरी खोला तह0 मुण्डावर, अलवर।
3 ज्वालाप्रसाद पुत्र भोरेलाल जाति अहीर निवासी माजरी खोला तह0 मुण्डावर, अलवर।
4 मुनीराम पुत्र महाराम उर्फ बहराम जाति अहीर निवासी माजरी खोला तह0 मुण्डावर, अलवर।
5 फूलसिंह पुत्र महाराम उर्फ बहराम जाति अहीर निवासी माजरी खोला तह0 मुण्डावर, अलवर।
6 कौशल्या पुत्री महाराम उर्फ बहराम पत्नि कमलसिंह जाति अहीर निवासी हाल बावडी की ढाणी तह0 नीमराना, अलवर।
7 राज0 सरकार जरियें लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर, अलवर।
8 उप पंजीयक महोदय, मुण्डावर, अलवर।
9 प्रबंधक बी आर के जी बी शाखा सोडावास तह0 मुण्डावर, अलवर।

:– प्रतिवादीगण

10 सुनितादेवी पुत्री रामवतार पत्नि रमेश शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी हाल असलीमपुर तह0 तिजारा, अलवर।
11 शकुन्तला पुत्री रामवतार पत्नि मुकेश शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी कबाडी गली शक्तिविहार, वार्ड नं0 31 पुराना इनकम टैक्स ऑफिस के सामने, तह0 बहरोड,, अलवर।
12 मनदेवी पुत्री रामवतार पत्नि सुनिल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी हाल म0नं0 628 गली नं0 11 वाई ब्लॉक प्रेम नगर–2 किराडी सुलेमान नागलोई नई दिल्ली।

:– तर0 प्रतिवादीगण

दावा – इश्तकरारहक मय दुरस्ती इन्द्राज अन्तर्गत

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज.

धारा 88, 89, 188 राज0 काश्त0 अधि0।

उपस्थिति:- श्री अशोक चौधरी प्रथम – वकील वादीगण

निर्णय दिनांक– 19.07.2023

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित आये। वादीगण के वाद का सारतः रहा कि हाल आराजी खसरा नम्बर 441/0.09 है0 का 1/2 भाग वाके ग्राम माजरी खोला तह0 मुण्डावर, अलवर में स्थित होकर विवादित आराजी कहलायेगी। सम्वत् 2029 में सैटलमेंट विभाग द्वारा साबिक ख0नं0 301 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा से हाल ख0नं0 441/0.09 पैमूद किया गया है। साबिक ख0नं0 301 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा का 1/24 भाग रास्ते के सहारे भौरेलाल, बनारसी, बहराम उर्फ महराम पुत्रान मंगलराम के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी रही है तथा जो अपने हिस्से की आराजी पर काबिज होकर काश्त करते रहे हैं। दिनांक 20.06.1973 को हम वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण के पूर्वज धीसाराम पुत्र सुखदेव जाति ब्राह्मण निवासी माजरी खोला ने प्रतिवादीगण सं0 1 ल0 6 के पूर्वज भौरेलाल, बनारसी, बहराम उर्फ महराम पुत्रान मंगलराम जाति अहीर निवासी माजरी खोला से साबिक ख0नं0 301 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा का 1/24 भाग बएवज प्रतिफल मय कब्जा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा के खरीद कर लिया व वक्त खरीद से ही अपनी खरीदशुदा आराजी पर काबिज होकर काश्त करता रहा है तथा हम वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण के पूर्वज के फौत होने पर उक्त विवादित आराजी जरिये विरासत हमें प्राप्त हुई है जिस पर हम बहिस्से काबिजकाश्त चले आ रहे है सजरा खानदान पेश है। हम वादीगण के पूर्वज घीसाराम पुत्र सुखदैव ग्रामीण व्यक्ति था जिसने अपने नाम बैयनामा तस्दीक करवाने के बाद हल्का पटवारी को इंतकाल दर्ज करवाने हेतु बैयनामा दे दिया तथा पटवारी द्वारा इंतकाल दर्ज होने की कहकर पूर्वज को वापिस दे दिया तथा हमारे पूर्वज घीसाराम अपने नाम इंतकाल दर्ज होने की सोचकर आराजी पर काबिज काश्त रहा तथा कभी राजस्व रिकॉर्ड नहीं देखा। सैटल सम्वत् 2029 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा साबिक ख0नं0 301 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा से हाल ख0नं0 441 रकबा 0.09 है0 पैमूद कर पूर्वज घीसाराम पुत्र सुखदेव के नाम का अंकन दर्ज नहीं कर विक्रेतागण भौरेलाल, बहराम उर्फ महाराम, बनारसी पुत्रान मंगलराम के नाम का अंकन दर्ज कर दिया जो अंकन खिलाफ मौका व खिलाफ कब्जा किया गया है इसलिए हम वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रतिवादीगण सं0 1 ल0 6 का नाम हजफ कराकर बैयनामा के आधार पर हिस्सेनुसार कब्जेकाश्त खातेदार घोषित कराने के अधिकारी है। प्रतिवादी सं0 1 ल0 6 के पूर्वज भौरेलाल व बहराम उर्फ महाराम की फौतगी पर उनकी विरासत प्रतिवादी सं0 1 ल0 6 के नाम दर्ज व मंजूद हो गई इसलिए मृतक भौरेलाल व बहराम उर्फ महाराम की विरासत इंतकाल को बातिल व बेअसर करार दिया जावे तथा प्रतिवादी 1 ल0 6 का पूर्व बनासरी लावल्द व बिला औरत रहा है जिसने राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन का बैजा फायदा उठाकर अपने हिस्से की आराजी का दानपत्र दिनांक 07.02.2017 को काशीराम, प्रकाशचन्द पुत्रान भौरेलाल के नाम 1/2 भाग व मुनीराम, फूसलसिंह पुत्रान महाराम के नाम 1/2 भाग का करा दिया तथा जिस दानपत्र के आधार पर प्रतिवादी सं0 1 व 2 व प्रतिवादी सं0 4 व 5 के नाम इंतकाल सं0 729 दिनांक 06.03.2017 को दर्ज व मंजूर हो गया, जो दानपत्र व इंतकाल सं0 729 मिन वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण के हक हकूकों के खिलाफ बातिल व बेअसर है जिसे बातिल व बेअसर करार दिया जावे। मिन वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण अपने पूर्वज घीसाराम से जरिये विरासत प्राप्त आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं तथा कभी राजस्व रिकॉर्ड देखने की आवश्यकता नहीं हुई लेकिन अब दिनांक 10.09.2019 को मिन वादीगण ने हल्का पटवारी से संपर्क कर रिकॉर्ड की नकल चाही तो उक्त गलत अंकन की जानकारी हुई, जानकारी होने पर साबिक राजस्व रिकॉर्ड की नकुलाय प्राप्त कर प्रतिवादीगण सं0 1 ल0 6 से दिनांक 03.01.2021 को संपर्क किया तथा रिकॉर्ड दूरूस्त कराने बाबत

कहा तो प्रतिवादीगण ने राजस्व रिकॉर्ड दूरूस्त कराने से मना कर दिया एवं एलानिया तौर पर धमकी दी कि रिकॉर्ड हमारे नाम है तथा तुम्हे आराजी से बेदखल कर कब्जा कर लेंगे एवं आराजी को दीगर लोगों को बेचान कर देंगे। बस यही वाद हेतु बिनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदा होती है। यदि वाकई में प्रतिवादीगण अपने इन बैजा नापाक ईरादों में कामयाब हो गये और राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन बैजा फायदा उठाकर आराजी का बेचान कर दिया या हम वादीगण को बेदखल कर दिया तो हम वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी तथा दावा करना ही बैयमायना हो जावेगा, चूंकि हम वादीगण के हक व अधिकार कानून द्वारा रक्षित है इसलिए हम वादीगण प्रतिवादीगण को हु0ई0 दवामी से पाबंद कराने के अधिकारी है आदि–आदि अंकित करते हुए वाद वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री इश्तकरारहक मय दूरूस्ती इस अमर की पारित की जावे कि साबिक ख0नं0 301 से पैमूद हाल ख0नं0 441 रकबा 0.09 ऐयर का 1/2 भाग वाके ग्राम माजरी खोला तहसील मुण्डावर में मिन वादीगण सं0 1 ल0 3 व तर0 प्रतिवादीगण को 1/4 भाग का तथा वादी सं0 4 को 1/4 भाग का, वादी सं0 5 को 1/5 भाग का तथा वादी सं0 6 को 1/4 भाग का बैयनामा दिनांक 20.06.1973 के अनुसार कब्जेकाश्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाकर प्रतिवादी सं0 1 ल0 6 का नाम हजफ कर राजस्व रिकॉर्ड दूरूस्त फरमाया जावे एवं बनारसी पुत्र मंगल द्वारा दिनांक 07.02.2017 को प्रतिवादी सं0 1 व 2 तथा प्रतिवादी सं0 4 व 5 के हक में कराए गए दानपत्र तथा जिस दानपत्र के आधार पर इंतकाल सं0 729 दिनांक 06.03.2017 दर्ज व मंजूर हुआ है उस दानपत्र व इंतकाल को मिन वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण के हक हकूकों के खिलाफ बातिल व बेअसर करार दिया जावे एवं भौरेलाल बहराम उर्फ महाराम के फौत होने पर विरासत इंतकाल प्रतिवादी सं0 1 ल0 6 के नाम दर्ज व मंजूर हो गया है उस विरासत इंतकाल को बातिल व बेअसर करार दिया जावे तथा प्रतिवादीगण को डिक्री हु0ई0 दवामी से पाबंद किया जावे कि वे विवादित आराजीयात को कही रहन, बय, हिबा इत्यादि से मुंतकिल ना करे ना ही मिन वादीगण को आराजी से बेदखल करे ना ही किसी भी प्रकार से मिन वादीगण के काश्त कार्य में मजाहमत पैदा करे का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी सं0 1 ल0 6 ने जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपने–अपने इकबाल जवाब दावे पेश किए जो शामिल पत्रावली है एवं मुताबिक इकबाल जवाब दावों के वादीगण के वादपत्र को स्वीकार करते हुए वादपत्र में चाही गई रिलीफ के अनुसार डिक्री फरमा दिया जावे हमें कोई एतराज नहीं होगा एवं प्रतिवादी सं0 7, 8, 9 बावजूद विधिवत तलबी अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है।

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 किता–2 प्रदर्श–1, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2029 प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी सैटलमेंट किता–9 प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी सम्वत् 2020 प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी सम्वत् 2015 प्रदर्श–5, नकल जमाबंदी सम्वत् 2034 किता–2 प्रदर्श–6, बैयनामा दिनांक 20.06.1973 प्रदर्श–7, दानपत्र दिनांक 07.02.2017 प्रदर्श–8 पेश किए एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र श्यामसुन्दर शर्मा पीडब्लयू–1, छगनलाल शर्मा पीडब्ल्यू–2, औप्रकाश पीडब्ल्यू–3 पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादीगण ने लिखित बहस प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली है। मुताबिक लिखित बहस वादपत्र के जिम्मनों को दौहराते हुए वकील वादी ने अंकित किया है कि साबिक ख0नं0 301 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा का 1/24 भाग रास्ता के सहारे भौरेलाल, बनारसी, बहराम उर्फ महराम पुत्रान मंगलराम के कब्जेकाश्त के खातेदारी की आराजी रही है तथा भौरेलाल, बनारसी, बहराम पुत्रान मंगलराम अपने हिस्से की आराजी पर काबिज होकर काश्त करते रहे हैं तथा दिनांक 20.06.1973 को हम वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण के पूर्वज घीसाराम पुत्र सुखदेव ने प्रतिवादीगण सं0 1 ल0 6 के पूर्वज भौरेलाल, बहराम उर्फ महराम, बनारसी पुत्रान मंगलराम जाति अहीर माजरी खोला से साबिक

ख0नं0 301 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा का 1/24 भाग बएवज प्रतिफल मय कब्जा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा की खरीद किया था तथा वक्त खरीद से ही काबिज होकर काश्त करता रहा तथा फौतगी पर विवादित आराजी जरिये विरासत प्राप्त हुई जिस पर बहिस्से काबिज काश्त चले आ रहे है। हम वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण के पूर्वज घीसाराम ग्रामीण व्यक्ति थे जिन्होंने अपने नाम बैयनामा तस्दीक करवाने के बाद हल्का पटवारी को इंतकाल तस्दीक करवाने हेतु बैयनामा दे दिया तथा हल्का पटवारी द्वारा इंतकाल दर्ज होने की कहकर बैयनामा हमारे पूर्वज को वापिस दे दिया जिसे इंतकाल दर्ज होने की सोचकर आराजी पर काबिज काश्त रहा है तथा की रिकॉर्ड नहीं देखा। दौराने सैटलमेंट 2029 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा साबिक ख0नं0 301 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा से ख0नं0 441 पैमूद कर पूर्वज घीसाराम के नाम का अंकन दर्ज नहीं कर विक्रेतागण भौरेलाल, बहराम उर्फ महाराम, बनारसी पुत्रान मंगलराम के नाम का अंकन दर्ज कर दिया जो अंकन खिलाफ मौका व खिलाफ कब्जा किया गया इसलिए हम वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रतिवादीगण सं0 1 ल0 6 का नाम हजफ कराकर बैयनामा के आधार पर हिस्सेनुसार काबिज काश्त खातेदार घोषित कराने के अधिकारी है। प्रतिवादी सं0 1 ल0 6 के पूर्वज भौरेलाल व बहराम के फौत होने पर उनकी विरासत प्रतिवादी सं0 1 ल0 6 के नाम दर्ज व मंजूद हो गई इसलिए उनकी विरासत इंतकाल को बातिल व बेअसर करार दिया जावे तथा प्रतिवादी सं0 1 ल0 6 का पूर्वज बनारसी लावल्द व बिला औरत रहा है जिसने राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन का बेजा फायदा उठाकर अपने हिस्से की आराजी का दानपत्र दिनांक 07.02.2017 को काशीराम, प्रकाशचन्द पुत्रान भौरेलाल के नाम 1/2 भाग व मुनीराम, फूलसिंह पुत्रान महराम के नाम 1/2 भाग करा दिया जिस दानपत्र के आधार पर प्रतिवादी सं0 1 व 2 तथा प्रतिवादी सं0 4, 5 के नाम इंतकाल सं0 729 दिनांक 06.03.2017 को दर्ज व मंजूर हो गया जो दानपत्र व इंतकाल सं0 729 वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण के हक हकूकों के खिलाफ बातिल व बेअसर है जिसे बातिल व बेअसर करार दिया जावे आदि–आदि अंकित करते हुए अंकित किया है कि वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप प्रदर्श–1 ल0 8 एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप पीडब्ल्यू–1, 2, 3 पेश कर अपने वादपत्र को पूर्ण रूप से साबित कर दिया है आदि–आदि अंकित करते हुए वाद वादीगण डिक्री फरमाये जाने का निवेदन रहा।

वकील वादीगण की प्रस्तुत लिखित बहस एवं पत्रावली व प्रत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया जिसके मुताबिक प्रदर्श–4 नकल जमाबंदी सम्वत् 2020 एवं प्रदर्श–5 नकल जमाबंदी सम्वत् 2034 एवं प्रदर्श–7 नकल बैयनामा दिनांक 20.06.1973 का अवलोकन किया गया जिसके मुताबिक भौरेलाल, बनारसी, बहराम पुत्रान मंगलराम जाति अहीरान निवासी माजरी खोला तहसील मुण्डावर द्वारा आराजी खसरा नम्बर 301 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम माजरी खोला में से 1/24 भाग के आराजी का रास्ते के सहारे–सहारे का बेचान किया गया है तथा मुताबिक मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2029 साबिक ख0नं0 301 के हाल ख0नं0 445, 446, 447, 439, 440, 453 व 441 पैमूद हुए हैं इस प्रकार से मुताबिक बैयनामा दिनांक 20.06.1973 के हाल ख0नं0 441 पैमूद होना पाया गया एवं मुताबिक नकल जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 किता–2 प्रदर्श–1 के अवलोकन से भी मुताबिक वादपत्र बनारसी पुत्र मंगल द्वारा दानपत्र के आधार पर इंतकाल सं0 727 के बहक काशीराम, प्रकाशचन्द पुत्रान भौरेलाल 1/2 व मुनीराज, फूलसिंह पुत्रान माहराम 1/2 अहीर साकिनदेह का अंकन होना पाया गया। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय वादीगण के ख0नं0 441/0.09 हाल ख0नं0 539/0.09 है0 के 1/2 भाग वाके ग्राम माजरी खोला, तहसील मुण्डावर, अलवर के बाबत के वाद को स्वीकार योग्य पाए जाने की स्थिति में वाद वादीगण डिक्री किया जाता है एवं हाल

राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी सं0 1 ल0 6 के नाम के हो रहे अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा उनके स्थान पर हाल आराजी ख0नं0 539/0.09 है0 के 1/2 भाग का वादीगण सं0 1 ल0 3 व तरतीबी प्रतिवादीगण को संभाग में 1/4 भाग का, वादी सं0 4 को 1/4 भाग का, वादी सं0 5 को 1/4 भाग का एवं वादी सं0 6 को 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं पूर्व में बनारसी पुत्र मंगल द्वारा दिनांक 07.02.2017 को प्रतिवादी सं0 1 व 2 तथा प्रतिवादी सं0 4 व 5 के हक में कराए गए दानपत्र एवं उक्त दानपत्र के आधार पर स्वीकृत इंतकाल सं0 729 दिनांक 06.03.2017 को उक्तानुसार वादीगण एवं तर0 प्रतिवादीगण की हद तक बातिल व बेअसर करार दिया जाता है एवं भौरेलाल व बहराम उर्फ महाराम की फौतगी पर प्रतिवादी सं0 1 ल0 6 के नाम पूर्व में निर्णित विरासत इंतकाल को भी वादीगण एवं तर0 प्रतिवादीगण की हद तक बातिल व बेअसर करार दिया जाता है एवं प्रतिवादीगण को हु0ई0 दवामी से पाबंद किया जाता है कि वे उक्त विवादित आराजी को उनके नाम हो रहे गलत अंकन के आधार पर किसी भी प्रकार से मुंतकिल ना करे एवं वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण के काश्तकार्य में किसी भी प्रकार से मजाहमत पैदा नहीं करे। उक्तानुसार हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **19.07.2023** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद ~~हस्ताक्षर~~ न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

19-7-2023

(पंकज बडगूजर)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर अलवर, राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

05/6/2024 → "आज यह पत्रावली वादी वकील के अर्जना पत्र पर तलब होकर पेश हुई। वादी का अर्जना पत्र 152 CPC संपठित धारा 151 CPC स्वीकार किया जाता है। निर्णय दिनांक 19-7-2023 में इंतकाल नम्बर 729 के स्थान पर 727 पढा जावे। निर्णय का शेष भाग यथावत रहेगा।"

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पेदन सहायक कलक्टर, मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बड़गूजर (RAS)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
57 / 2021	01.02.2021	19.07.2023

//उनवान//

1. श्यामसुन्दर शर्मा पुत्र रामवतार पौत्र घीसाराम जाति ब्राह्मण निवासी माजरी खोला तह0 मुण्डावर, अलवर।
2. योगेन्द्र शर्मा पुत्र रामवतार पौत्र घीसाराम जाति ब्राह्मण निवासी माजरी खोला तह0 मुण्डावर, अलवर।
3. निर्मला पत्नि रामवतार जाति ब्राह्मण निवासी माजरी खोला तह0 मुण्डावर, अलवर।
4. रतनलाल पुत्र घीसाराम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी माजरी खोला तह0 मुण्डावर, अलवर।
5. सरलादेवी पुत्री घीसाराम पत्नि ओमप्रकाश शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी हाल कबाडी गली यादव धर्मशाला के पीछे बहरोड– 301701
6. बिमला देवी पुत्री घीसाराम पत्नि हरिप्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी हाल सागर उपर मोहल्ला मुण्डावर तह0 मुण्डावर, अलवर।

:– वादीगण

बनाम

1 काशीराम पुत्र भोरेलाल जाति अहीर निवासी माजरी खोला तह0 मुण्डावर, अलवर।
2 प्रकाशचन्द पुत्र भोरेलाल जाति अहीर निवासी माजरी खोला तह0 मुण्डावर, अलवर।
3 ज्वालाप्रसाद पुत्र भोरेलाल जाति अहीर निवासी माजरी खोला तह0 मुण्डावर, अलवर।
4 मुनीराम पुत्र महाराम उर्फ बहराम जाति अहीर निवासी माजरी खोला तह0 मुण्डावर, अलवर।
5 फूलसिंह पुत्र महाराम उर्फ बहराम जाति अहीर निवासी माजरी खोला तह0 मुण्डावर, अलवर।
6 कौशल्या पुत्री महाराम उर्फ बहराम पत्नि कमलसिंह जाति अहीर निवासी हाल बावडी की ढाणी तह0 नीमराना, अलवर।
7 राज0 सरकार जरियें लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर, अलवर।
8 उप पंजीयक महोदय, मुण्डावर, अलवर।
9 प्रबंधक बी आर के जी बी शाखा सोडावास तह0 मुण्डावर, अलवर।

:– प्रतिवादीगण

10 सुनितादेवी पुत्री रामवतार पत्नि रमेश शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी हाल असलीमपुर तह0 तिजारा, अलवर।
11 शकुन्तला पुत्री रामवतार पत्नि मुकेश शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी कबाडी गली शक्तिविहार, वार्ड सं0 31 पुराना इनकम टैक्स ऑफिस के सामने, तह0 बहरोड,, अलवर।
12 मधुदेवी पुत्री रामवतार पत्नि सुनिल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी हाल म0नं0 628 गली नं0 11 वाई ब्लॉक प्रेम नगर–2 किराडी सुलेमान नागलोई नई दिल्ली।

उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

:– तर0 प्रतिवादीगण

दावा – इश्तकरारहक मय दुरस्ती इन्द्राज अन्तर्गत

–: पर्चा डिक्री :–

वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री अशोक चौधरी प्रथम की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 19.07.2023 को पंकज बडगूजर उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय वादीगण के ख0नं0 441/0.09 हाल ख0नं0 539/0.09 है0 के 1/2 भाग वाके ग्राम माजरी खोला, तहसील मुण्डावर, अलवर के बाबत के वाद को स्वीकार योग्य पाए जाने की स्थिति में वाद वादीगण डिक्री किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी सं0 1 ल0 6 के नाम के हो रहे अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा उनके स्थान पर हाल आराजी ख0नं0 539/0.09 है0 के 1/2 भाग का वादीगण सं0 1 ल0 3 व तरतीबी प्रतिवादीगण को संभाग में 1/4 भाग का, वादी सं0 4 को 1/4 भाग का, वादी सं0 5 को 1/4 भाग का एवं वादी सं0 6 को 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं पूर्व में बनारसी पुत्र मंगल द्वारा दिनांक 07.02.2017 को प्रतिवादी सं0 1 व 2 तथा प्रतिवादी सं0 4 व 5 के हक में कराए गए दानपत्र एवं उक्त दानपत्र के आधार पर स्वीकृत इंतकाल सं0 729 दिनांक 06.03.2017 को उक्तानुसार वादीगण एवं तर0 प्रतिवादीगण की हद तक बातिल व बेअसर करार दिया जाता है एवं भौरेलाल व बहराम उर्फ महाराम की फौतगी पर प्रतिवादी सं0 1 ल0 6 के नाम पूर्व में निर्णित विरासत इंतकाल को भी वादीगण एवं तर0 प्रतिवादीगण की हद तक बातिल व बेअसर करार दिया जाता है एवं प्रतिवादीगण को हु0ई0 दवामी से पाबंद किया जाता है कि वे उक्त विवादित आराजी को उनके नाम हो रहे गलत अंकन के आधार पर किसी भी प्रकार से मुंतकिल ना करे एवं वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण के काश्तकार्य में किसी भी प्रकार से मजाहमत पैदा नहीं करे। उक्तानुसार हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेगें।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 19.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

19-7-2023
उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

(पंकज बडगूजर)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर अलवर, राज0

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रा० प्र० पत्रावली श्याम सुन्दर V/S काशीराम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए.

10/1/25	आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित आए। प्रार्थीगण की मूल दावा पत्रावली आज डिग्री कर निर्णित की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अग्रिम कार्यवाही ड्रॉप कर स्वीकार कर निर्णित की जाती है। पत्रावली निर्णित शुमार हो। नम्बरात कम हो। बाद तकमील सलंग्न दावा रहे। सुनाया गया।	